# संपादकीय

## दिल्ली में लक्ष्मण रेखा

लंबे समय से दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के बीच जारी टकराव पर विराम लगाते हुए सुप्रीमकोर्ट ने सभी पक्षों से शासन को सुचारु रूप से चलाने को कहा। सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जनता को सर्वोच्च बताते हुए संविधान के अनुरूप शासन चलाने की जरूरत बताई। पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, मगर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह से भी नहीं है। मंत्रिपरिषद सर्वोच्च है। कानून व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार दिल्ली सरकार को है। उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का हक नहीं है।उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग से ही कार्य करना चाहिए। सभी निर्णय उपराज्यपाल को बताये जाने चाहिए मगर यह जरूरी नहीं कि उनकी सहमति हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल की भूमिका अवरोधक की नहीं होनी चाहिए। साथ ही उपराज्यपाल अन्य राज्यों के राज्यपाल जैसी भूमिका में नहीं हो सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 239 एए के अनुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिये राज्य के अधिकारों की तुलना अन्य राज्यों से न की जाये।

कहा जा सकता है कि दिल्ली से जुड़े कानून वही हैं, मगर कोर्ट ने नये सिरे से उनकी व्याख्या की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में दिये फैसले में कहा था कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उपराज्यपाल ही दिल्ली के बॉस हैं। उनकी अनुमति हर फैसले में जरूरी है। इसके बाद दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो गये थे और उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार में लगातार टकराव चला आ रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आरोप था कि केंद्र के इशारे पर उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में ग्यारह याचिकाएं दायर की गई थीं। पीठ का मानना था कि लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए। उन्हें विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए लेकिन दिल्ली के विशेष दर्जे को देखते हुए इसमें संतुलन जरूरी है। साथ यह भी कि दिल्ली में अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है। सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। संविधान के अनुसार फैसले लेना सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने चाहिए। अलग-अलग विचारों के साथ चलना जरूरी है। राजनेताओं और अधिकारियों को मतभेद भुलाकर तालमेल बनाकर साथ चलना चाहिए। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे।

## भीड़तंत्र पर फटकार

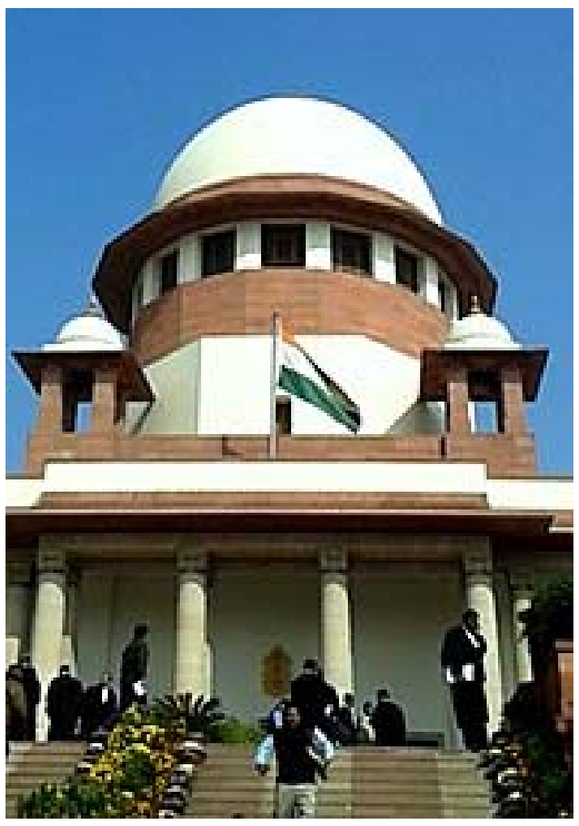

सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। इस तरह की हिंसक गतिविधियों पर रोक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा समेत तीन जजों की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी। बीते हफ्ते बच्चा चोरी की अफवाह के चलते महाराष्ट्र के बीड़ में पांच निरपराध लोगों को भीड़ ने जिस तरह से पीट-पीट कर मार डाला, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। चाहे बात धर्म-जाति के नाम पर भड़काने, गौ रक्षा अथवा बच्चा चोरी जैसे मामलों को लेकर अफवाहें फैलाने की हो, सरकार की जवाबदेही है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दे। किसी भी अपराध में लिप्त मालूम दे रहे व्यक्ति को काबू भी कर लिया हो तो उसे पुलिस को सौंपा जाये। सजा देना न्यायिक तंत्र और अदालत का काम है।

दरअसल, शीर्ष अदालत ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर इन राज्यों से जवाब भी मांगा था। यह अवमानना याचिका महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन राज्यों ने शीर्ष अदालत के 6 सितंबर, 2017 के आदेशों का पालन नहीं किया है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद भीड़तंत्र की हिंसा का शिकार होते बाल-बाल बचे थे।

एक ऐसी ही कोशिश का जिक्र उनकी आत्मकथा में है। 23 साल के युवा भारतीय वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में हुए भेदभाव का जिक्र भारत लौटकर मोहन दास गांधी ने जिस भी अंदाज में किया हो, नेटाल के अखबारों ने उनकी दक्षिण अफ्रीका वापसी को ऐसे प्रस्तुत किया, मानो वे गोरे शासकों के खिलाफ युद्ध भड़काने आ रहे हों। जहाज से उतर कर शहर पहुंचते ही गांधीजी पर गोरे प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। इस भीड़ से गांधीजी को बचाने नेटाल की एक संभ्रांत गोरी महिला ही सामने आई और हिंसक भीड़ को ललकारते हुए गांधीजी के जीवन की रक्षा की। हम भारतीयों को उससे सीख लेने की आवश्यकता है।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E : alpaviram1@yahoo.com

# अफगान सिखों पर हमले के मायने

अफग़ानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक नांगरहार है, जिसकी राजधानी जलालाबाद है। तोरा बोरा की पहाड़ियां इसी प्रांत में हैं, जो कभी बिन लादेन का ठिकाना हुआ करती थीं। यहीं से पलायन कर वह पाकिस्तान के एबटाबाद में पहुंच गया था। 13 अप्रैल 2017 को ट्रंप के आदेश पर नांगरहार के अचीन जिले में आइसिस के ठिकाने पर अमेरिकी युद्धक विमानों ने अत्यंत घातक 'एमओएबी' बम बरसाये थे, जिसमें 94 लोग मारे गये थे। मारे जाने वालों में आइसिस के चार कमांडर भी बताये गये थे। मगर, क्या नांगरहार से दहशतगर्दी समाप्त हो गई? यह सवाल रविवार को जलालाबाद में हुए विस्फोट के बाद से सुर्खियों में है। इस विस्फोट में सिख नेता अवतार सिंह खालसा समेत 20 लोग मारे गये। राष्ट्रपति ट्रंप को इससे क्या फर्क़ पड़ा है? इस विस्फोट में अमेरिकी नागरिक मारे जाते, फिर अमेरिकी प्रशासन सवालों के घेरे में होता और ट्रंप की धज्जियां उड़तीं।

20 अक्टूबर, 2018 को अफग़ानिस्तान में संसदीय चुनाव होने हैं। अवतार सिंह खालसा अकेले सिख प्रत्याशी थे जो अतिवादियों के निशाने पर थे। तीन दिन पहले अवतार सिंह खालसा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ़ अफग़ानिस्तान में बसे हिंदुओं, सिखों के वास्ते काम नहीं करूंगा, बल्कि इस देश और समाज के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लूंगा। रविवार को राष्ट्रपति ग़नी दो दिन के वास्ते जलालाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अस्पताल का उद?घाटन भी किया था। अवतार सिंह खालसा एक शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति ग़नी से मिलने जा रहे थे, जो पहले से तय था। ये लोग रास्ते में थे कि जलालाबाद के मुखबेरात चैक पर एक मानव-बम ने विस्फोट कर सब कुछ तबाह कर दिया। मरने वालों में हिंदुओं और सिखों की संख्या काफी थी, जो शिष्टमंडल का हिस्सा थे। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की इमारतें, दुकानें तबाह हो गईं। मतलब साफ था कि इन्हें पूरी योजना के साथ टारगेट किया गया था। इस हमले में अवतार सिंह के बेटे नरिन्दर सिंह खालसा बुरी तरह घायल हुए हैं। सवाल यह है कि जिस जलालाबाद में राष्ट्रपति की विजिट थी, वहां सुरक्षा एजेंसियां क्या सचमुच चौकस थीं? यही राष्ट्रपति ग़नी जब-जब दिल्ली आते हैं, जहां उनका जाना होता है, वह पूरा इलाक़ा छावनी में बदल जाता है।

यह कांड करके दहशतगर्दों ने भारतवंशियों का मनोबल तोड़ा है। वे नहीं चाहते कि वहां की राजनीति में सिख, हिंदू समाज का एक भी बंदा रहे। विस्फोट का उद्देश्य स्पष्ट नज़र आता है। 1980 के पहले इसी अफग़ानिस्तान में सिखों व हिंदुओं की संख्या दो लाख 20 हज़ार थी। अकेले काबुल में 20 हजार सिख रह रहे थे। जलालाबाद, ग़ज़नी, कंधार दूसरे छोटे शहर भी थे, जहां सिख कई पीढ़ियों से रह रहे थे। इनका उजड़ना 1980 के सोवियत-अफग़ान युद्ध से शुरू हुआ। 1990 में अफगान सिविल वार के शुरू होने और 1992 में नज़ीबुल्ला शासन के समाप्त होने तक आततायियों ने देशभर में दर्जनों गुरुद्वारे तोड़ डाले, तब अफग़ानिस्तान में 50 हज़ार सिख रह गये थे। मगर, उनका पलायन तेज़ी से शुरू हो गया। सिर्फ़ काबुल में आठ में से सात गुरुद्वारों को फसादियों ने नष्ट कर दिया, अब एकमात्र गुरुद्वारा करते परवान बचा हुआ है।

पूरे अफग़ानिस्तान में इस समय कोई 1200 परिवारों के आठ हज़ार सिख रह गये हैं। इनमें ज़्यादातर खत्री सिख हैं, जो सूखे मेवे, कालीन, मसालों के कारोबार में कई पुश्तों से लगे हुए हैं। हिंदुओं की संख्या मात्र दो हज़ार के आसपास है। जो बचे-खुचे सिख अफग़ानिस्तान में हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को स्कूली शिक्षा और परिवार में किसी के गुज़र जाने पर उसका दाह संस्कार है। 2010 तक हालत यह थी कि क़ाबुल में शवदाह गृह को स्थानीय प्रशासन से मान्यता नहीं मिली थी। फिलहाल, धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप के बाद इस समस्या का अस्थाई हल निकाला गया है।

तालिबान की विदाई के बाद, 18 सितंबर 2005 को अफग़ानिस्तान में पहला संसदीय चुनाव हुआ था, उस समय अनारकली कौर होनारयार पहली सिख सांसद निर्वाचित हुई थीं। उसी साल एक हिंदू गंगा राम को हामिद करज़ई ने ऊपरी सदन के लिए नामित किया। 18 सितंबर 2010 को हुए आम चुनाव में अनारकली कौर हार गईं। करज़ई ने उन्हें ऊपरी सदन में भेजा। यों, ऊपरी सदन (मेशरानो ज़िरगा) में एक सीट हिंदू-सिख माइनॉरिटी के वास्ते रिजर्व है, पर मसला लोअर हाउस (वोलेसी ज़िरगा) का था।

सितंबर 2013 में हामिद करज़ई ने निचले सदन में भी सिखों-हिदुओं के वास्ते एक सीट रिजर्व किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके समर्थन में सिर्फ 22 सांसद थे, 130 विरोध में थे। संसद में यह प्रस्ताव गिर गया। अगले राष्ट्रपति अशरफ ग़नी इसके प्रति संज़ीदा दिखे। सितंबर 2016 में ग़नी कैबिनेट ने लोअर हाउस में सिखों व हिंदुओं के वास्ते एक सीट रिजर्व किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि निचले सदन 'वोलेसी जिरगा' की 249 में से 64 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें कूची बंजारों के लिए आरक्षित हैं।

प्रश्न यह है कि सिख नेता अवतार सिंह खालसा किस वास्ते राष्ट्रपति ग़नी से मिलने जा रहे थे? और इस पूरे ग्रुप को रोकने के पीछे मकसद क्या था? काबुल से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि ग़नी सरकार ने सिख-हिंदुओं की घोषित सीट के वास्ते गजट नहीं किया था। यह शिष्टमंडल उसके जल्द से जल्द निष्पादन के वास्ते राष्ट्रपति ग़नी से मिलने जा रहा था। तो क्या इन्हें किसी तरह से रोकना था? इस सवाल पर अफग़ान सरकार ने अब तक कुछ नहीं कहा है। भारत सरकार बस भर्त्सना करके रह गई है जो आमतौर पर सरकारी रस्म का हिस्सा हुआ करता है।

इस कांड से एक बात तो साफ हुई है कि अफग़ानिस्तान की राजनीति तय करने वाले अतिवादी तत्व हर हाल में वहां के सिख-हिंदू प्रतिनिधित्व को राजनीति में प्रवेश से रोकना चाहते हैं। सिखों-हिंदुओं के समूह पर इस तरह का हमला पहले क्यों नहीं हुआ? क्या ट्रंप की अफग़ान नीतियों पर मोदी सरकार के चल पड़ने का खमियाजा वहां के सिख भुगत रहे हैं? इन सवालों का उत्तर तो देना होगा। हमारे नेता पीठ ठोक सकते हैं कि अफग़ान संसद का निर्माण हमारे समय में हुआ। 2009 से उसका बनना आरंभ हुआ था, 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी उस संसद का उद?घाटन करते हैं। मगर, मूल प्रश्न कोई नहीं पूछता कि इस संसद के निचले सदन में हिंदू-सिखों के प्रतिनिधि के वास्ते जो एक सीट आरक्षित करनी थी, उसका क्या हुआ? यह सवाल तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं खो-सा गया !

# भस्मासुर बनती मर्दवादी सोच

और अब मंदसौर! वही नीचता, वैसी ही अमानवीयता और वीभत्सता कि धरती में समा जाने की जुगुप्सा हो उठे। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तेज' की हांक लगाने वाले भारत को स्त्रियों के लिए दुनिया वालों ने पृथ्वी का सबसे असुरक्षित और खतरनाक देश ठहराया तो गलत क्या किया? 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसे लुभावने नारे भी हमने गढ़े हैं, फिर किस वजह से हमको ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है! क्या इसका कारण हमारी सोच और आचरण में भारी अंतर नहीं है!

पिछले सप्ताह मंदसौर की त्रासद घटना ने थॉम्पसन रॉयटर्स नाम की विश्व संस्था के सर्वेक्षण 'महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश' के कलंक का सच साकार कर दिया। इस नतीज़े तक पहुंचने का आधार मुख्यत: तीन मुद्दे रहे- पहला, सांस्कृतिक और परंपरागत प्रथाएं; दूसरा, यौन हिंसा और उत्पीड़न का स्थायी खतरा और तीसरा, घरेलू यौन दासता। यह सर्वेक्षण मार्च 26 से 4 मई के बीच किया गया। इस अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों और स्त्रियों की तस्करी के साथ ही यौन व्यापार जैसी समस्याओं का ध्यान भी रखा गया।

पिछले आठ वर्ष में महिला सुरक्षा के मामले में हमारा ग्राफ़ लगातार गिरता रहा और अंतत: हम अंतिम पायदान तक जा पहुंचे। यहां तक कि अफगानिस्तान और सीरिया का स्थान दूसरा और तीसरा तथा पाकिस्तान जैसे दकियानूस देश का छठवां बताया गया। कुछ अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया, जैसे बदला लेने के लिए की जाने वाली यौन हिंसा, घर में बलात्कार, बाल विवाह, जबरन शादी, और पीड़ित महिला को न्याय मिलने में रुकावटें। इन सभी विषयों के कारण भी भारत को अव्वल जगह हासिल हुई।

महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय ने हालांकि इस अध्ययन का आधार अवैज्ञानिक माना है। उसने अपने एतराज में कहा कि परम्परागत प्रथाओं में भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जबरन शादी, शारीरिक अंगों को विकृत करने जैसी बातें भी इसमें शुमार कर ली गई हैं। कुछ पुरुषवादी संगठनों ने तो यहां तक कहा कि यह सर्वेक्षण अतिरंजित और विदेशियों द्वारा देश का अपमान है।

लिहाज़ा बेहतर होगा कि हम खुद अपने रेकॉर्ड की जांच-पड़ताल कर लें। पहले पारिवारिक-सामाजिक हकीकत- 1. हर दिन 2000 कन्या भ्रूण हत्याएं की जाती हैं देश में, 2. एक साल में बलात्कार के 35 हज़ार से ज्यादा मामले दर्ज़ किए जाते हैं, 3. 71 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, 4. लगभग 44 फीसद लड़कियों का विवाह नाबालिग उम्र में ही कर दिया जाता है, 5. लड़कों की संख्या लड़कियों से करीब नौ करोड़ अधिक है, 6. तलाक़ के कई लाख मुकदमे अदालतों में बरसों से फैसले के इंतजार में धूल खा रहे हैं (पिछले साल 19 वर्ष तक कानून के जंगल में भटकने के बाद तलाक़ के एक ऐसे मामले का फैसला आया, जिसमें पति-पत्नी केवल 20 दिन ही साथ रहे थे और 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 साल बाद 85 की उम्र के बुजुर्ग को तलाक़ की मंजूरी दी ), 7. करीब 23 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिनको तलाक़ दिए बिना ही पति ने छोड़ दिया है, 8. अनेक राज्यों में प्रेम विवाह करने वालों को सामाजिक-पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, यहां तक कि खाप पंचायत जैसे गैर कानूनी गुट और 8. आज भी दहेज़ की घृणित बुराई को निभाना शादी की जरूरी शर्त बना हुआ है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अन्याय के प्रति राजनीतिक रवैये की पड़ताल भी जरूरी है। कश्मीर के कठुआ में हुई घटना में सत्ताधीशों का चरित्र उजागर हुआ। इसी तरह जब हरियाणा में 'बाबा' गुरमीत सिंह या जोधपुर में 'संत' आसाराम के बलात्कार के गुनाह सामने आए तो बचाव में सबसे पहले नेता मैदान में उतरे। यह कृत्य देश को शर्मसार करने वाला था।

दरअसल हमारा समाज ही बीमार हालात का शिकार हो चुका है। तभी तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधा जैसे हर सामाजिक मामले में हमारा ग्राफ़ निरंतर गिरावट दर्ज कर रहा है। हम बांग्लादेश तक से पिछड़ गए हैं। महिला सुरक्षा की स्थिति पर विचार करें तो सबसे पहले अपने पुरुषवादी वर्चस्व की ईमानदार पड़ताल करनी होगी।

21वीं सदी में भी स्त्री पददलित क्यों बनी हुई है! गरीब और संपन्न सभी परिवारों में लड़कियों का बचपन से ही दमन किया जाता है।

## ज़ी क्लासिक पर सनी देओल स्टारर 'विश्वात्मा', रविवार 8 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे

एक पुलिस अधिकारी और एक युवक अपने करीबियों की मौत का बदला लेने के मिशन पर निकलते हैं और अपराधी को पकड़ने के लिए मीलों का सफ़र तय करते हैं।

साल 1992 की छठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस फिल्म का निर्माण गुलशन राय और निर्देशन राजीव राय ने किया। फिल्म 'विश्वात्मा' से ही स्वर्गीय अभिनेत्री दिव्या भारती ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी।

इस फिल्म में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और दलीप ताहिल समेत अन्य कई कलाकार शामिल हैं।

फिल्म 'विश्वात्मा' को इसके सदाबहार गीत 'सात समुंदर पार' के लिए भी याद किया जाता है। अब 'वो जमाना करे दीवाना' की अपनी ब्रांड विचारधारा के साथ ज़ी क्लासिक इस रविवार 8 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे, फिल्म 'विश्वात्मा' दिखाने जा रहा है। (19-8)

**पश्चिम रेलवे - भावनगर मण्डल**

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

**दिव्यांग यात्रियों के लिए टोईलेट की क्षति का निकाल करना**

**सं. डीआरएम/ईएल/ईटी/बीवीपी/2018-19/14 दि. 04.07.2018,** भारत के राष्ट्रपति के पक्ष से मंडल रेल प्रबंधक (ईले.) पश्चिम रेलवे, भावनगर परा की ओर से निम्न कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, **निविदा सं. 8/2018-19 : कार्य का नाम:** भावनगर मंडल: दिव्यांग यात्रियों के लिए टोईलेट की क्षति का निकाल करना, कुल 42 नंग टोईलेट (20 नंग प्रथम चरण में एवं 22 नंग द्वितिय चरण में), **अनुबंध का मूल्य:** रू 357336/-, **निविदा शुल्क:** रू 1000/-, **ईमदी:** रू 7150/-, **पता:** डीआरएम, (इएल) बीवीपी, डीआरएम कार्यालय, भावनगर परा, 364003. निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा ऑन लाईन लिंक www.ireps.gov.in के द्वारा लागू की जानी है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.ireps. gov.in पर जाएं। ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 13.08.2018 को समय 15.00 बजे तक है। 44

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग**

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता, बोर्डर फेन्सिंग डिवीजन-IV सीपीडब्ल्यूडी, थराद द्वारा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सुयोग्य और मान्य सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से रोड के निम्न कार्य के लिए ओनलाइन **प्रतिशत दर से बीड्स** आमंत्रित है:- **एनआईटी नं. : 03/एसई/बीएफसी-II/भुज/2018-19**

**कार्य का नाम : इन्डो - पाक बोर्डर पर गुजरात सेक्टर अंतर्गत हेड- 2055 पर अलग से सेमी - डेन्स बिटूमिनस कोन्क्रीट एवं बीपी 957 का बाढ से क्षतिग्रस्त भाग बीपी 952/2एस के अगले हिस्से सहित बोर्डर रोड का रखरकाव एवं मरम्मत करना। ( एसएच :- सी/ओ क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत एवं कलवर्ट )**

**अनुमानित लागत :** रु. 7,21,19,276/-

**अर्नेस्ट मनी:** रु. 14,42,386/- एवं **समयावधि :** 08 (आठ )महीना, **बीड सबमिट करने की अंतिम तारीख और समय:** 23.07.2018 को 3.00 बजे तक.

**निविदा प्रपत्र और अन्य जानकारी वेबसाइट www.tenderwizard.com/CPWD अथवा www.cpwd.gov.in अथवा www.eprocure.gov.in . प्रेस सूचना www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।**